

जाने में कोई आपत्ति न होने तथा अकृषिक भूमि घोषित किये जाने के प्रति राज्या एवं स्वाम्यद होने के सम्बन्ध अपना अपना नोटरी द्वारा सत्यापित स्वयं पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में तहसीलदार अचरोली की आज्ञा से सदस्या द्वारा हुए उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने समुचित प्रतीत होता है।

जहां तहसीलदार अचरोली की जीव आज्ञा के आधार पर ग्राम नरगुरा कदम परमना व तहसील अचरोली की खाता संख्या 385 के माटा संख्या 85 रकबा 1.247 है 0 में से रकबा 0.480 है 0 मालमुजारी 22-05 रकबा व खाता संख्या 358 के माटा संख्या 89क/1 025, 89ख/0.981, 89ग/0.346, 89घ/0.196, कुल 04 किता रकबा 1.648 है 0 में से रकबा रकबा 0.549 है 0 मालमुजारी 13-45 व खाता संख्या 213 के माटा संख्या 90 रकबा 0.547 है 0 में से रकबा 0.271 है 0 मालमुजारी 3-70 रकबा व खाता संख्या 210 के माटा संख्या 92/1 रकबा 1.463 है 0 में से रकबा 0.122 है 0 मालमुजारी 4-53 रकबा को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मूसाजरी खाते से कम किया जाये। तहसीलदार द्वारा अमलदस्तावेज जारी होके राजस्व अगिलेरा खाती में इस आदेश का इन्चार्ज नर्स-नर्स किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक अचरोली को भेजी जाये। अनुमान 3 व उपरान्त पत्रावली संवित की जाये।

दिनांक - 10-10-2012

[Handwritten Signature]

(200 वरुण अचरोली)

उपनिबन्धक अचरोली / सहायक लेखापाल
अचरोली, अचरोली



[Handwritten Signature]
10/10/12



जकास प्रान्त पत्र वक दि०... 12-10-12
जकास खाता दि०... 20-10-12
मालक कमी दि०... 20-10-12